न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 61/2017

RCMS No. 2017/00274

प्रार्थी:–

1 मोहम्मद हसन पुत्र मो0 सिद्दकी

2 गुलाम रब्बानी पुत्र मो0 इकबाल नागौरी जाति मुसलमान निवासी मारवाड़ जक्शन जरिये मुख्तयार श्री भीका खां पुत्र रफीक ख़ां जाति कुरैशी मुसलमान निवासी मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन
2. निशार मोहम्मद पुत्र रफीक जी जाति कुरैशी मुसलमान निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री पृथ्वीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06/09/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 25/2003–2004, संकल्प संख्या 6 दिनांक 26.05.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3066 दिनांक 24.08.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि वादस्थ भूमि का पट्टा संख्या 179 मिसल संख्या 618/73–74 दिनांक 20.12.1973 द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत खारची द्वारा मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद सिद्दीकी व गुलाम रब्बानी पुत्र मोहम्मद इकबाल नागौरी के नाम से बना हुआ है। अप्रार्थी ने उक्त वादस्थ भूमि पट्टा संख्या 179 की 800 वर्गगज भूमि के दो पट्टे, पट्टा संख्या 3066 व 3067 दिनांक 24.08.2004 को ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन से जारी करवा दिए, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उक्त भूमि के पट्टे पूर्व में जारी हो चुके थे। ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का दुबारा पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध चालान पेश किया। इसके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने भाई भीका खां के विरूद्ध पट्टा संख्या 3066 व 3067 का फर्जी होने के तथ्यों के सम्बन्ध में मुकद्दमा दर्ज करवाया, जिसमें चालान हुआ, उक्त प्रकरण में भी स्वयं निशार अहमद ने पट्टा संख्या 3066 जारी नहीं करवाने का कथन किया, इस कारण उक्त पट्टा मन्सुख किए जाने योग्य है। पूर्व में जारी पट्टा संख्या 179 की भूमि मुख्तयार धारक भीका खां ने पापालाल पुत्र बालुराम,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दासलाल पुत्र रामचरण भाट को बेचान कर दी। जो आगे से आगे बेचान होती रही। इस कारण उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 किसी भी रूप में मालिक नही है एवं न ही उसका कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने तथ्य छुपाते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी ने जिस आम मुख्तियारनामा के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है, उसमें आममुख्तियार प्रदानकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण प्रार्थी आम मुख्तियारनामा के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करने अथवा किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी आम मुख्तियारनामा में न्यायालय में कार्यावही करने के सम्बन्ध में अधिकृत नहीं किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी यह निगरानी प्रस्तुत करने पर अधिकृत नहीं हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 सगे भाई हैं। एक ही दिन में चार पट्टे जारी किए गए है, जिसमें दो पट्टे प्रार्थी के नाम तथा दो पट्टे अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किए गए हैं। उक्त पट्टों की जानकारी प्रार्थी को वर्ष 2004 से ही हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने 13 वर्षों के पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की है तथा देरी के लिए किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस कारण निगरानी मियाद के प्रावधानों से बाधित होने के कारण भी खारिज़ योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा इसी भूमि पर पूर्व में मोहम्मद हसन व गुलाम रब्बानी के नाम पट्टा संख्या 179 ग्राम पंचायत खारची से जारीसुदा होना बताया है, जो विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि खास मुख्तियारनामा में अंकित उम्र के अनुसार गणना की जाने पर; जिस समय पट्टा संख्या 179 जारी होना बताया गया है, उस समय मोहम्मद हसन की उम्र 5 वर्ष एवं गुलाम रब्बानी की उम्र 1 वर्ष की होती है, जो नाबालिग थे तथा नाबालिग के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध हैं। इस कारण उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के हितों के विरूद्ध आरम्भ से ही शून्य प्रभावी हैं। प्रार्थी ने पूर्व में पट्टा जारी होना बताया है, जो पूर्णतः मनगढन्त तथ्य है, क्योंकि पूर्व में जारी जिस पट्टे का जिक्र प्रार्थी द्वारा किया गया है, उसके पडौस एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के पडौस का मिलान ही नहीं होता हैं। इस प्रकार उक्त भूमि एवं पट्टा अलग अलग हैं, जिनका कोई मेल नहीं हैं। अप्रार्थी का जैर निगरानी विवादित आराजी पर मकान बना हुआ है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 अपने परिवार के साथ निवास करता हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विधि अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क आदि जमा करवाया हैं। पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर सचिव से नक्शा बनवाया है तथा तीन पंचों की कमेटी को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया हैं। पंचो द्वारा मौका अनुसार निरीक्षण किया है तथा पट्टा बनाने की सिफारिश की हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर मियाद अवधि के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर, पुराने कब्जे तथा निवास बाबत साक्ष्य लेकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र दुर्भावनावश निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 25/2003–2004, संकल्प

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 6 दिनांक 26.05.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3066 दिनांक 24.08.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण हाजा में उभयपक्ष द्वारा जो तथ्य हमारे संज्ञान में लाये गए हैं, उनकी विवेचना किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता हैं, क्योंकि प्रकरण हाजा में तथाकथित रूप से जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी होने के तथ्य रेकर्ड पर लाए गए हैं, इसके अतिरिक्त विवादित आराजी को लेकर विभिन्न माननीय न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही, परस्पर विवाद को लेकर हुए पुलिस अनुसंधान में उज़ागर हुए तथ्य आदि के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण किया जाना, इस प्रकरण को पेचीदा बनाता हैं। प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा संख्या 179 जारी किया गया है, जो भूखण्ड संख्या 360 का मोहम्मद हसन व गुलाम रब्बानी के नाम जारी किया गया हैं। भूखण्ड संख्या 360 व 359 को सम्मिलित करते हुए पट्टा संख्या 3066 व 3067 जारी किया जाना जाहिर किया है, जिसे स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन के समक्ष भीकाखां एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा एवं पुलिस थाने में प्रस्तुत परिवाद में भी स्वीकार किया हैं। इस प्रकार यह तथ्य सुस्पष्ट है कि जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया, उस भूमि का पूर्व में पट्टा संख्या 179 जारी हो चुका था। हालांकि उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विधि विरूद्ध होना जाहिर किया, इस स्थिति में उक्त पट्टे को सक्षम न्यायालय के शून्य घोषित करवाया हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस कारण पट्टा संख्या 179 वर्तमान में भी अस्तित्व में होना प्रतीत होता हैं। चूंकि प्रकरण में जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा संख्या 179 जारी हो चुका था, जो अस्तित्व में रहते ग्राम पंचायत को उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 3066 जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 25/2003–2004, संकल्प संख्या 6 दिनांक 26.05.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3066 दिनांक 24.08.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 06/09/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली